	n after plant ank of Incia	110	+ "	Date 06	109	201	6
	Please S Credit B	C O D	C R	L D B D	M-C	S D R	FOR
A	/c. No. 4	श्रम्। बाज्र	101	० ० ०		22	1
	stalls of Chec Bank			que No:	er tota	Amoun	t
			1000	8		8000	
15	THE PART OF		100	120 120		2000	
A.K. Printers				Ü	6	FY IN	E C
×			1			1	
-	pees al	1.2 2.1	012	TOT	AL L	2.000	O.

प्रम प्रवर्ग पदाशिकार्न अियातप्र प्रमार्ग द्धारा, तर

1947-:- 3/19 00 00 2/14 GIA GIA 150 150 150 150 160 -8151, 50:000/- alastiff de Rafakt ayab प्पारिकरने के संबंधी में

HE124.

343 and 19 AZT KEROELH Paris 6. 9.2016 25 अभावन रवावा र्माया के आक्रीकर में वाक-मामिक you get anormulation of Later 4201 4840101000112 \$1 20.000 EVENT WHICK EASISE

211487 1929 KA 2-414-30414-d11E हत्तगत्र न्यानामिक-SHIMMING TO BIL (DOSUS)595)

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

मूम अधिय का कार्यालय समस्तीपुर	1
ब्राप संख्या 1/2 दिनांक 23:08-20/6	
SIG COGINITATION	
	3
सेवा में,	
and some court	1
नियोजक सुनी फाना प्रमाण नीमी मील पीऊ - प्रस स्थेण्ड - हस्मापुर - प्रेर + प्रामा - रूसमपुर जिला स्माणी	13%
स्वारोधा - चीर्म मीरा-चीर, प्रामिभन फीर्पम हैनाला में वार्र 10-1 प्रीहरणा हैं (मला स्वारी)	19/8/
भारता - प्राचीपु	7
विषय:- बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के साथ पठित माननीय सर्वोच्चय	
न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका, एम. सी. मेहता बनाम तामिलनाडु सरकार	
दिनांक 10.12.1996 में दिये निर्णयानुसार प्रतिबंधित नियोजनों में बाल श्रमिक पाये जाने	के क
फलस्वरुप रु० २०,०००/- (रुपये बीस हजार) बतौर मुआवजा जिला बाल श्रमिक	
पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करने के संबंध में ।	×c
महोदय,	Ann. 1
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19-08-2016 को ६०१९१ ६५५ सम्प- २-०६	.बर्ज
पूर्वीह्न/अपराह्न में आपके प्रतिष्ठान/आवास का निरीक्षण बाल श्रम (प्र० एवं वि०) अधिनियम, १ ९८६ के अन्त	र्गात
किया गया । निरीक्षण के समय आपके प्रतिष्ठान/आवास में बाल श्रमिक श्री अपूर्ण दुस्पार	
पिता क्रीम प्राया साह निवासी हमनाहर नीनी सील नी प्रायमा हमनाह।	,,,,,,
उम्र	तीय
संविधान के अनुच्छेद- 24 एवं बाल श्रम (प्र० एवं वि०) अधिनियम, 1986 की धारा-3 के अन्त	
प्रतिबंधित है।	10101
रिट याचिका संख्या-465/1986 एम. सी. मेहता बनाम तामिलनाडु सरकार मे दिनांक- 10.12.19	
ो सावतीय अर्थोन्न न्यायान्य के निर्माय के अवसार दोषी वियोजक को एवि बान शरिक कार्य २०.००	

तौर मुआवजा जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करूना है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के आदेश के अनुपालन 20,000 = १) (क्रींस डिमा) जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, बाल श्रीमक पुनर्वास-सह-कल्याण ोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करें।

निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत निदेशित मुआवजा राशि जमा नहीं किये जाने पर उक्त राशि की वसूली तु बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकभरी ऐक्ट के अन्तर्गत सर्टिफिकेट की कार्रवाई की जायेगी ।

इसे ताकीद जाने ।

श्रम अधीक्षक श्रम प्रवृत्म पदाधिकारी एवं